झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2016 के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 76/2016

एतद् द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2016 के परीक्षार्थियों, अभिभावकों, केन्द्राधीक्षकों एवं परीक्षा से जुड़े सभी पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि परिषद् कार्यालय, राँची में दिनांक 20.11.2016 को पूर्वाह्न 7:30 बजे से संध्या 7:00 बजे तक परीक्षा नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा।

परीक्षा नियंत्रण कक्ष

दूरभाष संख्या:– 0651-6453344,0651-6453346,0651-6453348
फैक्स:– 0651-2261999
टौल फ्री:– 18003456523

परीक्षार्थियों एवं संलग्न पदाधिकारियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

- परीक्षा केन्द्रों के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा वरीय अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है।
- परीक्षा की अवधि ढ़ाई घण्टे निर्धारित की गई है। प्रथम पाली की परीक्षा(L1–कक्षा I से V तक के लिए) पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा (L2–कक्षा VI से VIII तक के लिए)अपराह्न 1:30 बजे से 4:00 बजे तक संचालित होगी।
- परीक्षार्थी परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से एक घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुँचें और सीट प्लान के अनुसार अपना स्थान ग्रहण कर लें।
- परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र प्रस्तुत किए बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों यथा– मोबाईल फोन, ब्लूटुथ डिवाईस, ईयर फोन, डिजिटल डायरी, कैलकुलेटर, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तथा लॉग बुक, पुस्तक, नोट बुक, बैग इत्यादि रखना वर्जित है।
- परीक्षा कक्ष में परीक्षा कार्य से संबंधित कर्मियों को छोड़ किसी अन्य अनाधिकृत कर्मी या व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है।
- परीक्षार्थी की पहचान उनके प्रवेश पत्र एवं फोटोयुक्त उपस्थिति पत्रक से की जाए। पहचान की शंका होने की स्थिति में इसकी सूचना अविलम्ब केन्द्राधीक्षक को दी जाए।
- कुछ परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र पर ASST./URDU ASST. TEACHER अंकित है। वैसे परीक्षार्थी दोनों पालियों की दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकेंगे। उक्त का अर्थ यह है कि वैसे परीक्षार्थी URDU ASSISTANT TEACHER(L1) एवं ASSISTANT TEACHER (L2) दोनों के लिए आवेदन दिया है।
- परीक्षा प्रारम्भ होने के उपरान्त किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- प्रवेश पत्र पर दिए गए क्रमांक को अपने ओ.एम.आर. सीट एवं प्रश्न बुकलेट पर लिखें।
- प्रश्न बुकलेट के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिए गये हैं, जिसमें एक और केवल एक ही विकल्प वाली गोला को **नीला या काला बॉल प्वाइंट पेन से रंगे, पेंसिल से नहीं।**
- ध्यातव्य, कि यह ओ.एम.आर. सीट कार्बनलेस(Carbonless) है। फलस्वरूप ओ.एम.आर. की द्वितीयक प्रति पर स्पष्ट अंकन हेतु ओ.एम.आर. सीट पर पर्याप्त दबाव के साथ काला या नीला बॉल पेन से चिन्हन करें। द्वितीयक प्रति पर स्पष्ट अंकन के दृष्टिगोचर होने में कुछ समय लगेगा।
- प्रवेश पत्र एवं ओ.एम.आर. सीट में परीक्षार्थी अपना हस्ताक्षर वीक्षक के समक्ष ही करें। प्रवेश पत्र एवं ओ.एम.आर.सीट में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर के उपरान्त उत्तर को छोड़ कर सभी सूचनाओं की जाँच करने के उपरान्त ही वीक्षक हस्ताक्षर करेंगे।
- परीक्षार्थी ओ.एम.आर. में सभी प्रविष्टियाँ प्रवेश पत्र के अनुसार ही करेंगे। प्रवेश पत्र से हटकर यदि कोई परिवर्तन/अक्षर परिवर्तन कर ओ.एम.आर. सीट में प्रविष्टी की जाती है तो परीक्षाफल प्रकाशन में तकनीकि व्यवधान माना जाएगा और इसकी सारी जवाबदेही संबंधित परीक्षार्थियों की होगी।
- ओ.एम.आर.सीट में भरे जानेवाले प्रविष्टियाँ को पुन:जॉच लें एवं उसके नीचे वृत को नीला या काला करते समय पूरी सावधानी बरतें। किसी प्रकार की तद्विषयक त्रुटि रहने पर परीक्षार्थी का अभ्यर्थित्व स्वत: रद्द समझा जाएगा एवं इसके लिए वे स्वयं जवाबदेह होंगे। परीक्षा भवन छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर.सीट और प्रश्न बुकलेट वीक्षक को सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ सिर्फ ओ.एम.आर.सीट की द्वितीयक प्रति ले जा सकते हैं।
- दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित समय के अतिरिक्त 30 मिनट का समय दिया जाएगा। विज्ञप्ति संख्या–71/2016 के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थी, यथा–दृष्टिहीनता या शारीरिक रूप से दिव्यांग (लिखने में असमर्थ) या Spastic है, वे निम्नांकित शर्त्तों के अधीन श्रुति लेखक (Scribe) प्राप्त कर सकते हैं।

(क) ऐसे अभ्यर्थी अपनी दिव्यांगता के संबंध में सिविल सर्जन/जिला शल्य चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (दिव्यांगता के प्रतिशत के साथ) एवं आवेदन परीक्षा तिथि से पूर्व संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे।

(ख)प्राप्त आवेदन के आधार पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण पत्र के आधार पर नियमानुसार अनुमान्य होने की स्थिति में अधिकतम वर्ग नवम् में अध्ययनरत् होने का प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त वर्ग के विद्यार्थी की श्रुति लेखन हेतु उन्हें अधिकृत करेंगे और उसकी सूचना केन्द्राधीक्षक को देते हुए परिषद को भी सूचित करेंगे।

परीक्षा समाप्ति के बाद प्रत्येक श्रुतिलेखक को 300/– रूपये पारिश्रमिक के रूप में केन्द्राधीक्षक के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

परीक्षार्थियों, अभिभावकों एवं संलग्न पदाधिकारियों से अनुरोध है कि कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन में सहयोग प्रदान करें।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/TET/2432/SECY/429/16
Dt. 18.11.2016
D.O.P : 19.11.2016

8X22